न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- **15/2018**

वादी

1. बाबूलाल पुत्र श्री घीसाराम
2. श्यामला पुत्र श्री घीसाराम
3. छोटाराम पुत्र श्री घीसाराम
4. सुखड़ी पत्नी श्री घीसाराम
   जातियान जाट निवासीगण
   ग्राम घाणामगरा, तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गिरधारीराम पुत्र श्री रिड़मलराम
2. शंकरलाल पुत्र श्री रिड़मलराम
3. भंवरलाल पुत्र श्री लुम्बाराम
4. सुखाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
5. भाकरराम पुत्र श्री लुम्बाराम
6. जोगाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
7. नारायणराम पुत्र श्री रावतराम
8. पुखाराम पुत्र श्री गंगाराम
9. उम्मेदराम पुत्र श्री गंगाराम
10. गवरी पत्नी श्री गंगाराम
    सभी जातियान जाट
    निवासीगण ग्राम घाणामगरा,
    तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
11. शान्ति पुत्री श्री गंगाराम पत्नी
    श्री हेमाराम जाति जाट
    निवासी ग्राम चिरढाणी,
    तहसील पीपाडशहर जिला
    जोधपुर
12. सीता पुत्री श्री गंगाराम पत्नी
    श्री धर्माराम जाति जाट
    निवासी भगासनी तहसील
    बिलाड़ा जिला जोधपुर
13. भंवरलाल पुत्र श्री जसाराम
14. राजूराम पुत्र श्री जसाराम
15. सोनी पत्नी श्री जसाराम
16. सायरी पत्नी श्री रामलाल
17. सुमन पत्नी श्री छोटाराम
    सभी जातियान जाट
    निवासीगण घाणामगरा,
    तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
18. बगदाराम पुत्र श्री रामलाल
19. सुखदेव पुत्र श्री रामलाल
20. धनेश पुत्र श्री रामलाल
21. पानी पत्नी श्री रामलाल
    सभी जातियान सुथार
    निवासीगण ग्राम घाणामगरा
    तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
22. राजस्थान सरकार जरिये
    तहसीलदार बिलाड़ा
23. रखाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
    जाति जाट निवासी घाणामगरा
    तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपस्थिति :-

वादीगण – श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।

प्रति. सं. 1 से 7, 10, 18 से 20 व 23– श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी सं. 8, 9, 11 से 17 व 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक :– 28/05/15

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 256 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 270/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 270/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 282/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 282/2 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 357 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, कुल खसरा 6 कुल रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा आई हुई है। जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 13 से 21 का 1/2 हिस्सा है। जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में दर्ज है। खातेदार माडीदेवी पत्नी स्व. श्री लूम्बाराम का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा उनके नाम फौतेदगी म्यूटेशन आज दिन तक दर्ज नही करवाने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का नाम राजस्व रेकर्ड में स्व. लुम्बाराम के स्थान पर दर्ज नही किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 से 6 स्व. लुम्बाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिन्हे प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के रूप में संयोजित किया गया है। खातेदार रामलाल पुत्र स्व. श्री भैराराम का स्वर्गवास हो चुका है परन्तु उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 18 से 21 द्वारा उनके नाम फौतेदगी म्यूटेशन आज दिन तक दर्ज नही करवाने के कारण प्रतिवादी संख्या 18 से 21 तक का नाम राजस्व रेकर्ड में स्व. रामलाल के स्थान पर दर्ज नही किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 18 से 21 स्व. रामलाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिन्हे प्रतिवादी संख्या 18 से 21 के रूप में स्व. रामलाल के वारिसान की हैसियत से प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है। उक्त मौखिक बंटवाड़ा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के मध्य वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार हुआ है वादग्रस्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत् बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 21 के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 21 को विधिवत् बंटवाड़ा व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 21 ने आज दिन तक न तो वादीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादीगण के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा किया इसलिए वादीगण को अपने हक व हिस्से की वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा व नक्शे में तरमीम करवाने के लिये यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 256 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 270/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 270/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 282/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 282/2 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 357 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा में से वादीगण के 1/6 हिस्से की भूमि का जरिये मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से के अनुसार तरमीम की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के हिस्से अनुसार बंट में आई खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 30.10.2019 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम घाणामगरा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 256 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 270/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 270/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 282/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 282/2 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 357 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण के 1/6 हिस्से का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेष प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	राजूराम पुत्र जसाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	357	0.1861
	कुल खसरा	1	0.1861
2	बाबूलाल पुत्र घीसाराम 1/4, श्यामलाल पुत्र घीसाराम 1/4, छोटाराम पुत्र घीसाराम 1/4, सुखडी पत्नि घीसाराम 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार	357/1	0.1860
	कुल खसरा	1	0.1860
3	उम्मेदराम पुत्र गंगाराम 1/60, कमली पुत्री नारायणराम 3/216, गवरी पत्नी गंगाराम 1/60, गिरधारीराम पुत्र रिडमलराम 1/8, जयराम पुत्र नारायणराम 3/216, जोगाराम पुत्र लुम्बाराम 3/216, पुखाराम पुत्र गंगाराम 1/60, प्रेम पुत्री नारायणराम 3/216, भंवरलाल पुत्र लूम्बाराम 3/216, भाकरराम पुत्र लूम्बाराम 3/216, भानाराम पुत्र नारायणराम 3/216, माडीदेवी पत्नी लूम्बाराम 3/216, रखाराम पुत्र लूम्बाराम 3/216, शंकरलाल पुत्र रिडमलराम 1/8, शान्ति पुत्री गंगाराम 1/60, सुखाराम पुत्र लूम्बाराम 3/216, समुडी पुत्री नारायणराम 3/216, सुमन पत्नी छोटाराम 1/2, सीता पुत्री गंगाराम 1/60 सभी जाति जाट सा.देह खातेदार	256 270/1 270/2	0.0971 0.2427 0.1133

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

	कुल खसरा	3	0.4531
4	अमराव पुत्री रामलाल 1/12 सुथार, धनेश पुत्र रामलाल 1/12 सुथार, बगदाराम पुत्र रामलाल 1/12 सुथार, सुखदेव पुत्र रामलाल 1/12 सुथार, उम्मेदराम पुत्र गंगाराम 1/60, कमली पुत्री नारायणराम 3/216, गवरी पत्नी गंगाराम 1/60, गिरधारीराम पुत्र रिडमलराम 1/8, जयराम पुत्र नारायणराम 3/216, जोगाराम पुत्र लूम्बाराम 3/216, पुखाराम पुत्र गंगाराम 1/60, प्रेम पुत्री नारायणराम 3/216, पानीदेवी पत्नी रामलाल 1/12 सुथार, पार्वती पुत्री रामलाल 1/12 सुथार, भंवरलाल पुत्र लूम्बाराम 3/216, भाकरराम पुत्र लूम्बाराम 3/216, भानाराम पुत्र नारायणराम 3/216, माडीदेवी पत्नी नारायणराम 3/216, माडीदेवी पत्नी लूम्बाराम 3/216, रखाराम पुत्र लूम्बाराम 3/216, शंकरराम पुत्र रिडमलराम 1/8, शांति पुत्री गंगाराम 1/60, सुखाराम पुत्र लूम्बाराम 3/216, समुडी पुत्री नारायणराम 3/216, सीता पुत्री गंगाराम 1/60 जाति जाट सा. देह खातेदार	282/1	0.2184
	कुल खसरा	1	0.2184

नोटः- मौका की स्थिती व कब्जा स्पष्ट नहीं होने से एवं विवाद बढने की संभावना के कारण खसरा सं. 282/2 का बंटवाडा नहीं किया गया है।

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.03.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 24.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढ़ा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण

1. बाबूलाल पुत्र श्री घीसाराम
2. श्यामला पुत्र श्री घीसाराम
3. छोटाराम पुत्र श्री घीसाराम
4. सुखड़ी पत्नी श्री घीसाराम
   जातियान जाट निवासीगण
   ग्राम घाणामगरा, तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गिरधारीराम पुत्र श्री रिड़मलराम
2. शंकरलाल पुत्र श्री रिड़मलराम
3. भंवरलाल पुत्र श्री लुम्बाराम
4. सुखाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
5. भाकरराम पुत्र श्री लुम्बाराम
6. जोगाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
7. नारायणराम पुत्र श्री रावतराम
8. पुखाराम पुत्र श्री गंगाराम
9. उम्मेदराम पुत्र श्री गंगाराम
10. गवरी पत्नी श्री गंगाराम
    सभी जातियान जाट निवासीगण
    ग्राम घाणामगरा, तहसील
    बिलाड़ा जिला जोधपुर
11. शान्ति पुत्री श्री गंगाराम पत्नी
    श्री हेमाराम जाति जाट निवासी
    ग्राम चिरढाणी, तहसील
    पीपाड़शहर जिला जोधपुर
12. सीता पुत्री श्री गंगाराम पत्नी
    श्री धर्माराम जाति जाट निवासी
    भगासनी तहसील बिलाड़ा जिला
    जोधपुर
13. भंवरलाल पुत्र श्री जसाराम
14. राजूराम पुत्र श्री जसाराम
15. सोनी पत्नी श्री जसाराम
16. सायरी पत्नी श्री रामलाल
17. सुमन पत्नी श्री छोटाराम
    सभी जातियान जाट निवासीगण
    घाणामगरा, तहसील बिलाड़ा
    जिला जोधपुर
18. बगदाराम पुत्र श्री रामलाल
19. सुखदेव पुत्र श्री रामलाल
20. धनेश पुत्र श्री रामलाल
21. पानी पत्नी श्री रामलाल
    सभी जातियान सुथार
    निवासीगण ग्राम घाणामगरा
    तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
22. राजस्थान सरकार जरिये
    तहसीलदार बिलाड़ा
23. रखाराम पुत्र श्री लुम्बाराम
    जाति जाट निवासी घाणामगरा
    तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 15/2018

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय

दिनांक :- 20/05/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 10, 18 से 20 व 23 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 22 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 24.03.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/05/2025 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा